

recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Cinematograph (Second Amendment) Bill, 1973, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th August, 1973."

CINEMATOGRAPH (SECOND AMENDMENT) BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I lay on the Table of the House the Cinematograph (Second Amendment) Bill, 1973, as passed by Rajya Sabha.

12.29 hrs.

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

EIGHTH REPORT

SHRI S. N. MISRA (Kannauj): I beg to present the Eighth Report of the Committee on Subordinate Legislation.

MINES (AMENDMENT) BILL

(i) REPORT OF JOINT COMMITTEE

SHRI M. C. DAGA (Pali): Sir, I beg to present the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Mines Act, 1952.

(ii) EVIDENCE

SHRI M. C. DAGA: Sir, I beg to lay on the Table the record of evidence tendered before the Joint Committee on the Bill further to amend the Mines Act, 1952.

12.30 hrs.

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF JOINT COMMITTEE

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA (Dausa): Sir, I beg to move:

"That this House do further extend upto the last day of the first week of the next session, the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Companies Act, 1956, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969"

MR. SPEAKER: In the statement of reasons for asking for extension of time to submit the report, you have said:

"The Committee have held 33 sittings so far. The Committee completed hearing of oral evidence on the Bill in June, 1973.

The Committee have been granted 3 extensions—the last extension was granted on the 27th July, 1973 upto the last day of the current session.

At the sitting held on the 16th August, 1973 the members felt that it would not be possible for them to take up clause-by-clause consideration of the Bill during the session period."

How long will you take now?

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: We hope at the next session we will be able to submit the report.

MR. SPEAKER: Are you sure?

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA. Yes, Sir.

MR. SPEAKER: So, the question is:

"That this House do further extend upto the last day of the first week of the next session, the time for the presentation of the Report

[Mr Speaker]

of the Joint Committee on the Bill further to amend the Companies Act, 1956, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1980."

The motion was adopted

12 32 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(i) INJUSTICE IN ACQUISITION OF AGRICULTURAL LANDS BY BHILAI STEEL PLANT

श्री चन्द्रलाल चन्द्राकर (दुर्ग) भिलाई इस्पात कारखाने के मैनजमेंट द्वारा वहाँ के कर्मचारियों और ग्राम पाम के किसानों के साथ हा रहे अन्याय की आरंभ म मंत्री महोदय का धन दिनांक नाचना हू श्री प्रमुख बरना चाहता हू कि वे हम अन्याय को दूर करने की कोशिश कर। भिलाई स्टील प्लांट के लिए लोग में अधिक मात्रा की जमीन का सरकार द्वारा लिया गया। अभी भी वहाँ हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। उनके बाबजूद भी भिलाई स्टील प्लांट के मैनजमेंट ने दो गावाँ की जमीन का जिन में से एक का नाम पुरेना गाँव है जमीन एकत्रित करने के आर्डर्स ईशु किए हैं। ग्राम पाम के गाँव के लोग मैनजमेंट के इस रुख से बड़े परेशान हैं। उनके पाम पहले ही बहुत अधिक जमीन खाली पड़ी हुई है। मैनजमेंट के अधिकार लोगो ने एक काओन्सिल्टिव फार्म बना लिया है जो लगभग 800 या 1000 या 1200 एकड़ का है जिस में वे खेती करते हैं, लेकिन साग खर्च सरकार का होता है, पानी, बिजली बाबूँ बायर, ट्रैक्टर सब तो सरकार के खर्च पर होते हैं लेकिन जो आमदनी होती है चाहे यह धान को फस न हो या सब्जो हो मैनजमेंट के अधिकारों के यहाँ चली जाती है। इस कारण स्थानीय जनता परेशान है। कई सालों से लोग कहते जा रहे हैं कि जो जमीन खाली पड़ी हुई है

उसका उपयोग सरकार द्वारा नहीं करवाया जा रहा है। हमें एक लॉज पर दे दें, एक एक लॉज की लॉज पर दे दी जाए ताकि जब कभी सरकार को जरूरत पड़े तो उस की लॉजों का इस्तेमाल कर दे सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसानों को मैनजमेंट के अधिकारों के अंतर्गत स्टील प्लांट की जमीन को दुर्लभ कर रहे हैं। उनके बाबजूद भी जमीन एकत्रित करने के आर्डर्स ईशु ही गये हैं।

भिलाई स्टील प्लांट में उत्पादन ब न अच्छी तरह से अभी तक होना रहा है। लेकिन अब वहाँ एडवर्ड्स रिलीज बहत तेजी से खराब हो रहे हैं। चाहे प्रमोशन, चाहे ट्रांसफर और चाहे नियुक्ति का सवाल हो, सब को बजह से वह खराब हो रहे हैं और खराब पैदा हो रही है कि आगे चल कर उत्पादन यही कम न हो जाए। मैं दो तीन उदाहरण देना चाहता हू। पहला तो यह है कि वहाँ एक एजुकेशन आफिसरी जो नियुक्ति हुई है उसने बिनाफ वदा जवर्स्टन असोसिएट्स और एन्डोवन है। उसके साथ साथ चार एजुकेशन आफिसरों को नियुक्ति हुई है उसने बिनाफ वदा जवर्स्टन असोसिएट्स और एन्डोवन है। तीन चार लोगों का या तो बिना कारण नोकरी में अलग कर दिया गया है या ट्रांसफर कर दिया गया है। एक दो नाम भी आगे की पताना चाहता हू। रामन राम को बिना किसी खास कारण के नोकरी से हटा दिया गया। ग्रिमस्टीट लेबर आफिसर श्री द्विवेदी को ट्रांसफर कर दिया गया बिना कारण। कहने का मतलब यह है कि वहाँ जो मैनजमेंट है वह मनमानी नियुक्तियाँ, प्रमोशन और टर्मनेशन आफ सर्विस कर रहा है।

भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों को जो बोनस दिया जा रहा है। वह 8 33 दिया जा रहा है। वहाँ इस्पात का उत्पादन बहुत अधिक होता है। वहाँ के कर्मचारियों को और इस्पात कारखाने के कर्मचारियों के अलावा